

an>

Title: Regarding problems faced by poor patients in getting medical treatment.

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) :** अध्यक्ष महोदया, देश के निजी अस्पतालों, दवा कम्पनियों तथा अन्य कम्पनियों द्वारा थोक में दवाओं और उपकरणों का कूय काफी रियायत दर पर किया जा रहा है। परन्तु मरीजों को फुटकर बिक्री के अन्तर्गत 45 से 85 प्रतिशत मुनाफे पर इन दवाओं और उपकरणों की बिक्री की जाती है। इस बात की पुष्टि एक कैंसर मरीज द्वारा की गयी है। यह मामला गुडगांव के एक निजी अस्पताल से संबंधित है, जो 24 जुलाई को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ था। उस महिला मरीज, शालिनी पाहवा को जो दवा 15,200 रुपये में दी गयी, वही दवा उसी मरीज को बेंगलुरु में मात्र 2400 रुपये में मिली, जबकि उसकी जेनरिक दवा की कीमत 800 रुपये है। अखबार ने छापा भी है कि Rs. 15000 vs. Rs. 800. Why hospitals make you buy costly drugs because they get them at dirt cheap and make big profit at your cost?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के चिकित्सकों द्वारा भी सामान्यतः जेनरिक मेडिसिन के बदले ब्रांडेड मेडिसिन ही लिखी जाती है, जिसके कारण गरीब मरीज को भयावह पीड़ा होती है। यद्यपि दिल्ली सहित देश के कई राज्यों के अस्पतालों में जेनरिक मेडिसिन्स की दुकानें खुली हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सुशील कुमार जी, आप अपनी बात शार्ट में कहिए। यह विषय क्वथेन ऑवर में हो चुका है।

वे। (व्यवधान)

**श्री सुशील कुमार सिंह:** परन्तु चिकित्सकों और दवा कम्पनियों की मिलीभगत से यह अभियान पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। जेनरिक मेडिसिन्स के अंतर्गत 324 दवाएं शामिल हैं, परन्तु प्रायः कुछ ही दवाएं दुकानों में उपलब्ध होती हैं, जिससे मरीज बाध्य होकर ब्रांडेड दवाओं को कूय करते हैं। सरकारी चिकित्सकों द्वारा भी प्रायः जेनरिक दवाएं और जेनरिक मेडिसिन का विकल्प नहीं लिखा जाता। ऐसे कार्यों से भारतीय चिकित्सा परिषद् की गाइडलाइन का भी उल्लंघन होता है। देश के अधिकांश निजी अस्पतालों में ब्रांडेड दवाएं कूय करने की बाध्यता होती है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मामले की उत्त्वरतीय जांच सुनिश्चित की जाये। दोषी अस्पतालों, संबंधित चिकित्सकों और दवा बनाने वाली इन कम्पनियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये, ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री सी.पी. जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।